न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई०ए०एस०)

अपील संख्या :- 388/2017 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (HCMS No.2017/00378)

मै० सिंघल उद्योग समूह सरक्यूलर रोड भरतपुर जरिये भागीदार सतीश कुमार पुत्र श्री कपूरचंद सिंघल जाति वैश्य निवासी ए-98 रणजीत नगर भरतपुर।

............अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार भरतपुर जरिये पैरोकार सरकार।

..............रैस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर, भरतपुर दिनांक 27.3.2017 बसिलसिले नामान्तरकरण संख्या 1347 दिनांक 10.6.2014 चक नं0 2 कस्बा भरतपुर

उपस्थितिः—

1. श्री रमनलाल मित्तल वकील अपीलान्ट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

निर्णय

दिनांकः— 4—7—2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 27.3.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट ने एक अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार भरतपुर नामान्तरकरण संख्या 1347 दिनांक 10.6.2014 ग्राम कस्बा चंक नं0 2 भरतपुर पेश की गई। तहसीलदार भरतपुर ने विवादित नामान्तरकरण संख्या 1347 जो कि आराजी खसरा नम्बर 852 व 853 किता—2 कुल रकबा 83 ऐयर को सिवायचक दर्ज किया जाकर दिनांक 10.6.2014 को स्वीकार किया गया है। तहत अदालत ने बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.3.2017 पारित करते हुये अपील अपीलान्ट खारिज कर नामान्तरकरण संख्या 1347 को यथावत रखा गया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई।

संभागीय आयुक्त संभाग, भरतपुर

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून क़ाबिल निरस्त है जो काबिल मंसूखी है। यह कि हर दो तहत अदालतों के आदेश न्यायसंगत नहीं कहे जा सकते क्यों कि विवादित आराजी अपीलान्ट को उद्योग प्रयोजनार्थ जिला कलक्टर भरतपुर ने 99 वर्ष के लिये पट्टे पर उपपंजीयक भरतपुर से पंजीकृत लीजडीड तारीख 20.4.76 द्वारा देकर कब्जा दिया था। तदनुसार अपीलान्ट व स्वयं के स्त्रोतों से फैक्ट्री तेल मिल भवन व मशीनरी स्थापित कर प्रारम्भ की थी जो मौके पर स्थित है, परन्तु योग्य जिला कलक्टर भरतपुर ने खिलाफ कानून अवैध रूप से अधिकारों से बाहर पंजीकृत लीजडीड 99 वर्ष होते हुये तारीख 10.6.2014 व 18.6.2014 को बिना नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये किस्म उद्योग के बजाय सिवायचक दर्ज करने व दिनांक 18.6.2014 को आदेश से आबादी दर्ज करने का विधि विरूद्ध आदेश दिया था जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी संख्या/एलआर/4148/2014/ भरतपुर पेश की व राजस्व मण्डल ने तारीख 3.11.2014 को विधि विरूद्ध मानकर निगरानी के अंतिम निर्णय तक स्थगित कर दिया था एवं उक्त निर्णय योग्य जिला कलक्टर के समक्ष भी पेश कर दिया था परन्तु जिला कलक्टर ने उक्त निर्णय को नजरअंदाज कर अपील खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है। यह कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय है कि रजिस्टर्ड लीजडीड में विरूद्ध निर्णय करने का अधिकार कलक्टर, उपखण्डाधिकारी या तहसीलदार को नही है परन्तु तहत अदालत ने माननीय राज0 उच्च न्यायालय के निर्णय 2016 डब्लूएलसी राज0 पेज 627 को भी नजर अंदाज कर दिया है। यह कि कलक्टर का आदेश दिनांक 24.6.2014 व उपजिला कलक्टर का आदेश 9.6.2014 के आदेश की पालना में खोला गया है इसलिए गलत आधार बनाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो काबिले निरस्तनीय है। यह कि अपीलाधीन व हैसियत पट्टेदार 99 बर्ष के लिये काबिज है अपीलान्ट ने करोडों रूपया लगाकर भवन व तेल मिल की मशीन स्थापित कर सन 1976 से तेल मिल चला रहा है केवल अपीलान्ट को परेशान करने के लिये अवैध रूप से मनमाने आदेश अपीलाधीन पारित किया है जो कानून में शून्य होने से काबिले निरस्तनीय है। वकील अपीलाण्ट ने यह भी तर्क दिया कि यह कि जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–6–2009 जिसके द्वारा विवादित भूमि से औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटन को निरस्त किया गया है, के विरूद्व अपीलाण्ट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी पेश की थी जिसमें माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी संख्या 4254/2019 कपूरचन्द सिंघल बनाम सरकार में दिनांक 9–12–19 को निर्णय पारित कर निर्णय दिनांक 24–6–2009 में वर्णित खसरा नंबर 547 की हद तक निरस्त कर दिया गया है। अतः इस आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अपीलान्ट के विरूद्व साजिश कर मनमाने आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से काबिले निरस्तनीय है। इस आधार पर वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर हर दो तहत अदालतों के आदेश क्रमश जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 27.3.2017 व तहसीलदार भरतपुर दिनांक 10.6.2014 निरस्त किये जाकर पूर्व स्थिति बहाल की जावे।

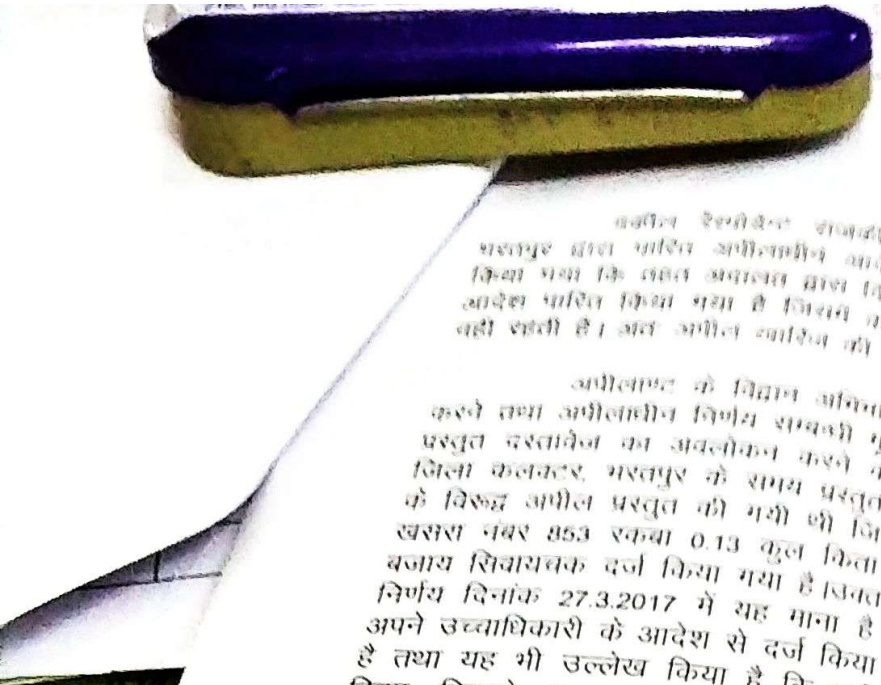

वकील रेस्पोडेन्ट राजकीय अभिभाषक द्वारा तहत अदालत जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.3.2017 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें यहां किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नही रहती है। अतः अपील खारिज की जावे।

अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक व सरकारी पैरोकार की बहस सुनने व मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय सम्बन्धी मूल पत्रावली तथा अपीलाण्ट की ओर से अपील मे प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि विद्वान जिला कलक्टर, भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 1347 दिनांक 10-6-2014 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी थी जिसके द्वारा खसरा नंबर 852 रकबा 0.70 एयर व खसरा नंबर 853 रकबा 0.13 कुल किता 2 रकबा 0.83 हैक्टयर को औद्योगिक क्षेत्र की बजाय सिवायचक दर्ज किया गया है।उक्त अपील में विद्वान जिला कलक्टर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.3.2017 में यह माना है कि अपीलाधीन नामान्तकरण तहसीलदार द्वारा अपने उच्चाधिकारी के आदेश से दर्ज किया जाकर स्वीकार किया है जिसमें कोई त्रुटि नही है तथा यह भी उल्लेख किया है कि अपीलाण्ट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह माना जा सके कि जिला कलक्टर, भरतपुर के पत्र दिनांक 24–6–2009 व उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के आदेश दिनांक 9–6–14 को निरस्त कर दिया गया है। अतः विद्वान जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा तत्समय उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर पारित किये गये निर्णय में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नजर नही आती है परन्तु अपीलाण्ट की ओर से अपील के विचारण के दौरान अदालत हाजा में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निगरानी संख्या 4254/2019 में पारित निर्णय दिनांक 9–12–19 की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसमें जिला कलक्टर, भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 24–6–2009 में वर्णित खसरा नंबर 547 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा की हद तक निरस्त कर प्रार्थीगण की औद्योगिक इकाई को प्रारंभ करने की स्वतंत्रता दी है। अतः उपरोक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में अपीलाधीन निर्णय को उचित नही कहा जा सकता है क्योकिं जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 24–6–2009 जिसके क्रम में उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर द्वारा तहसीलदार भरतपुर को दिये गये निर्देश दिनांक 9–6–14 व तहसीलदार भरतपुर द्वारा खोले गये नामान्तकरण दिनांक 10–6–2014 के सम्बन्ध में पुनः निर्णय किया जाना आवश्यक हो जाता है, क्योकिं अदालत हाजा के समक्ष न तो जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 24–6–2009 की प्रति है तथा न ही अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1347 दिनांक 10–6–2014 से सम्बन्धित दस्तावेज ही है। ऐसी स्थिति में प्रकरण उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में जिला कलक्टर, भरतपुर को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.3.2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण जिला कलक्टर, भरतपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देते हुए माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी संख्या 4254/2019 में पारित निर्णय दिनांक 9–12–19 में दिये गये निर्देशों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।

आयुक्त
संभाग, भरतपुर

निर्णय आज दिनांक 4–7–2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

न्यायालय संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर ★